न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21/2014 नामान्तरकरण अपील

1. रामकरण पुत्र पून्या
2. नरेश पुत्र पून्या
3. रामेश्वर पुत्र पून्या
4. मुरारी पुत्र पून्या

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बसेड़ी तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मुथरी पुत्री मोड्या पत्नि श्रवण जाति मीणा निवासी जगरामपुरा पट्टी कालाखोह तहसील सिकराय जिला दौसा। (फौत)
   1/1 प्रभू } पुत्र मुथरी देवी (पुत्री मोड्या पत्नि श्रवण) जाति मीणा निवासी
   1/2 गंगोलिया } जगरामपुरा पट्टी कालाखोह तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. सुशीला पत्नि स्व0 रमेश जाति मीणा निवासी बसेड़ी तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. शिवदयाल पुत्र स्व0 रमेश जाति मीणा निवासी बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. रवीना नाबालिग पुत्री रमेश जरिये संरक्षक माता सुशीला पत्नि स्व0 रमेश जाति मीणा निवासी बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. रीनो नाबालिग पुत्री रमेश जरिये संरक्षक माता सुशीला पत्नि स्व0 रमेश जाति मीणा निवासी बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा।
6. मल्ली पत्नि स्व0 बिशना जाति मीणा निवासी बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा।
7. कलावती पत्नि स्व0 मीठ्या जाति मीणा निवासी बसेड़ी तहसील सिकराय जिला दौसा।
8. कौशल्या } पुत्री मीठ्या जाति मीणा निवासी बसेड़ी तहसील सिकराय जिला दौसा।
9. बिरमा }
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार सिकराय दिनांक 19.6.2014 जो ग्राम बसेड़ी के नामान्तरकरण संख्या 67 पर पारित किया गया।

उपस्थिति :– 1. श्री अविनाश नागर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री सेडूराम शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 2, 6 लगा0 9 अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–:निर्णय:– दिनांकः 10.9.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट का चाचा गोविन्दा व ताउ मूल्या का देहान्त हो गया। वे अविवाहित थे, उनके उत्तराधिकारी अपीलांट है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 को न तो कानूनन उत्तराधिकार प्राप्त है और ना ही रेस्पोडेन्ट नं0 1 का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा रहा। परन्तु तहसीलदार सिकराय ने सरासर अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में भी नामान्तरकरण गलत रूप से मंजूर कर लिया। यह अपील रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में किये गये नामांतरकरण को निरस्त करने हेतु की गई है। अन्य रेस्पोडेन्ट

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

नं0 2 लगा0 9 से कोई विवाद नहीं है परन्तु नामान्तरकरण उनके पक्ष में भी भरा गया है इसलिये उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 फौत होने पर उनके कायम मुकामान को रेस्पोडेन्ट नं0 1/1 व 1/2 बनाया गया। जो बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेन्ट नं0 2 एवं 6 लगा0 9 की ओर से अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने दिनांक 23.8.2013 को उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष नामान्तरकरण खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने पर उन्होंने तहसीलदार सिकराय को नियमानुसार नामांतरकरण करने हेतु भेजा। तहसीलदार सिकराय ने दिनांक 26.8.2013 को ऑफिस कानूनगो से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी जिस पर पटवारी हल्का व ऑफिस कानूनगो ने दिनांक 26.8.2013 को अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगा0 9 के पक्ष में नामान्तरकरण करने की रिपोर्ट भेजी और तहसीलदार ने दिनांक 3.9.2013 को यह आदेश फरमाया कि संलग्न जांच रिपोर्ट के आधार पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरकरण किया जावे। इस समस्त कार्यवाही में रेस्पोडेन्ट नं0 1 मुथरी पुत्री मोड्या का कोई उल्लेख ही नहीं था। परन्तु पटवारी हल्का ने दिनांक 4.10.2013 को नामांतरकरण गलत भर दिया और उस पर आई. एल.आर घूमणा की रिपोर्ट दिनांक 17.6.2014 को करा दी और 19.6.2014 को तहसीलदार सिकराय ने नामान्तरकरण पर 'स्वीकृत' शब्द लिखकर ही सरासर गलत फैसला फरमा दिया। अपीलान्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं0 1 व अन्य के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया, जिस पर दिनांक 7.10.2013 को अपीलान्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, परन्तु वह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.6.2014 को निरस्त कर दी गई। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17.6.2014 को ही अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश करने पर अपीलेट न्यायालय ने पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.6.2014 को जारी कर दी। उल्लेखनीय है कि उपखण्ड अधिकारी सिकराय ने दिनांक 7.10.2013 को यह आदेश फरमा दिया था कि मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे और न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी, पदेन राजस्व अपील अधिकारी ने भी यह आदेश फरमा दिया कि रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखी जावे। इस प्रकार उक्त आदेश दिनांक 7.10.2013 के कारण नामान्तरकरण तस्दीक करने की समस्त कार्यवाही पर रोक लगी हुई थी तथा भू–प्रबन्ध अधिकरी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 20.6.2014 से भी नामान्तरकरण पर रोक निरन्तर जारी है। परन्तु तहसीलदार सिकराय ने यह नामान्तरकरण 19.6.2014 की तारीख डालकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 से गठबंधन करके अवैध रूप से तस्दीक कर दिया। राजस्व मण्डल ने अनेक रूलिंग्स द्वारा यह सुस्थापित कर दिया है कि यदि रेगुलर सूट पेंडिंग हो तो नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जावेगा। पक्षकार जाति से मीणा है जो अनूसूचित जनजाति घोषित है। अनूसूचित जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार नियम लागू नहीं होकर कस्टमरी कानून लागू होते है। जिसके अनुसार किसी भी महिला को उत्तराधिकार नहीं मिलता है। उक्त कानून के तहत मृतक गोविन्दा, मूल्या व गोविन्दा के सगे भाई पून्या व चम्पालाल के पुत्रादि के होते मुथरी रेस्पोडेन्ट नं0 1 को कोई कानूनन उत्तराधिकार प्राप्त ही नहीं होता है। मुथरी का कोई कब्जा वादग्रस्त भूमि के किसी अंश पर आज तक नहीं रहा। उसका विवाह हुये लगभग साठ वर्ष हो गये और वह अपने ससुराल ग्राम जगरामपुरा पट्टी कालाखोह में रहती

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

थी। इसके नाम खोला गया नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1988 पेज नं0 61, आर.आर.डी. 1966 पेज नं0 73, आर.आर.डी. 1981 पेज नं0 361, आर.आर.टी. 2006(1) पेज नं0 473 का अवलोकन करवाते हुये निवेदन किया गया कि प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जावे।

जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उक्त सन्दर्भ में न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी में अपील विचाराधीन होना एवं आदेश दिनांक 20.6.2014 से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना व्यक्त किया गया है। इसलिये उक्त सन्दर्भ में उक्त तथ्य को मध्यनजर रखते हुये आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व पक्षकारान मीणा जाति के होने के कारण से अनूसूचित जनजाति पर प्रभावी उत्तराधिकार के नियमो एवं नामान्तरकरण से सम्बन्धित भूमि पर कब्जा एवं अपीलेट न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के सन्दर्भ में बिना जांच किये ही प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है। इसलिये प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 67 दिनांक 19.6.2014 ग्राम बसेडी तहसील सिकराय निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में प्रभावी उत्तराधिकार नियम के सन्दर्भ में मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर एवं सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होने की स्थिति की जानकारी कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित कर कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official